

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, अररिया के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 01 दूर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगारों की दर से 1,00,000/- (एक लाख रूपए), 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगारों की दर से 30,000/- (तीस हजार रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के तहत 01 दूर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रति कामगारों की दर से 2,00,000/- (दो लाख रूपए), 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगारों की दर से 1,00,000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 4,30,000/- (चार लाख तीस हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबन्ध)/दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मो नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निरासक्तता का स्थिति, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० सत्तो सहनी, 43, बालेश्वर सहनी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	लुखरी देवी (पत्नी)	700 18.09.2025 / 15 02.01.2026	ग्राम-जयप्रकाश नगर पो०+था०+प्र०- अररिया सदर, जिला-अररिया, 9110938886	3645086 8579	SBI, SBIN00 0009	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, खेतिहर मजदुर का कार्य
2	स्व० कुदुस, 55, मेहरुद्दीन, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रोजीदा खातून (पत्नी)	707 19.09.2025 / 13 02.01.2026	ग्राम+पो०-बदुरबाड़ी, था०-ताराबाड़ी, प्र०-अररिया, जिला-अररिया, 6204846235	3649384 1069	SBI, SBIN001 5805	रू० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, खेतिहर मजदुर का कार्य
3	स्व० विष्णु राम, 41, भीखों राम, अनु० जाति वर्ग	ललिता देवी (पत्नी)	868 12.12.2025	ग्राम+पो०+था०- बसमतिया, प्र०-नरपतगंज, जिला-अररिया, 9523261486	1008181 0100029 91	UBGB, PUNB0M BGB06	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, खेतिहर मजदुर का कार्य
4	स्व० उपेन्द्र पासवान, 38, मुरत पासवान, अनु० जाति वर्ग	सुनिता देवी (पत्नी) 5424499687 67	10 02.01.2026	ग्राम+पो०-सिमरवनी था०+प्र०-भरगामा, जिला-अररिया, 8521780705	0066100 77180	IPPB, IPOS00 0001	रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदुर का कार्य
5	स्व० मो० अशद, 34, मो० ताहिर आलम, पिछड़ा वर्ग	संजरी (पत्नी)	57 14.01.2026	ग्राम+पो०-डुब्बा, था०+प्र०-जोकिहाट जिला-अररिया, 7633949439	2362810 0022117	BOB, BARB0T ARPUR	रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बिजली निस्त्री का कार्य

कुल राशि :-4,30,000/-
(चार लाख तीस हजार रूपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-41/2025-286

पटना, दिनांक :- ०९/०३/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 4,30,000 (चार लाख तीस हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, अररिया/उप श्रमायुक्त, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 27-02-2026, 14:23:04

(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक